कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)

जिला न्यायालय परिसर, कोण्डागांव

दुरभाष / फैक्स नम्बर– 07786–242501 E Mail- dlsa.kondagaon@gmail.com

–::आदेश::–

क्रमांक–253 / जि0वि0से0प्रा0 / 2026 कोण्डागांव, दिनांक–17.03.2026

मानननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 776 / LADCS.–23–05 / 2024 बिलासपुर दिनांक–13.03.2026 के आलोक में इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कियान्वयन एवं संचालन हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदनानुसार इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में लीगल एड डिफेंस कौसिंल कार्यालय हेतु (Supporting Staff) कार्यालय / क्लर्क (Office Assistant/Clerk) के पद हेतु निम्नानुसार अभ्यार्थी को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद एवं स्थान पर 01 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति कर पदस्थ किया जाता है:–

क0	रोल नंबर	अभ्यार्थी का नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल
01	LADC 5148	योगेन्द्र कुमार जैन	कार्यालय / क्लर्क (Office Assistant/Clerk)	कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कोण्डागांव

नियम एवं शर्ते:–

लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय / क्लर्क (Office Assistant/Clerk) पद के स्टाफ के पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल / कार्यावधि नालसा के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 12.03.2026 से 11.03.2027 तक अर्थात 01 वर्ष के लिए होगी।

1. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय / क्लर्क (Office Assistant/Clerk)पद के स्टाफ को संविदात्मक सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता, गृह भाडा भत्ता, पेंशन की पात्रता वार्षिक वेतन वृद्धि मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

2- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय मे नियुक्त अभ्यार्थी अपना पदभार ग्रहण करने के पश्चात यदि बिना पूर्व सूचना के कार्य छोड़ता है, तो उसे एक माह का मानदेय कार्यालय में जमा करना होगा।

3. अभ्यार्थी की नियुक्ति अनुबंध के अनुसार की जानी है, जो नियमित सरकारी पद या वेतन एवं सुविधाओं को प्राप्त करने के अधिकार का सृजन नही करता है। नियुक्ति के संदर्भ में एवं अनुबंध के शर्तो के तहत अन्यथा तदर्थ नियुक्ति समाप्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा अनावश्यक पत्राचार, प्रश्नोत्तर, लिखा-पढ़ी सहित सूचना के अधिकार अधिनियम का अनावश्यक प्रयोग किया जाता है, तो अनुबंध प्रारंभ तिथि से नियुक्ति समाप्ति तक भुगतान की गई मानदेय राशि की वसूली की जा सकेगी, साथ ही दण्डनीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

4. एक कलेण्डर वर्ष में यथा अनुपात आधार पर 12 दिनों की छुट्टी की पात्रता होगी उपयोग न किये गये अवकाश को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा और न ही भुनाया जायेगा।

5 लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय में नियुक्त कार्यालय / क्लर्क(OfficeAssistant/Clerk) पद के स्टॉफ के द्वारा माननीय नालसा एवं सालसा, डालसा द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टॉफ के द्वारा माननीय नालसा के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में स्कीम में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप नियुक्त स्टॉफ की संविदात्मक सेवा अध्यक्ष डीएलएसए सचिव की सिफारिश पर अथवा सालसा द्वारा लिखित रूप में दिये गये निर्देश पर समाप्त की जा सकेगी।

7 लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टॉफ के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते है, तथा आपराधिक, राजनीतिक, गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टॉफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

8. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेगें।

9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें, नियुक्त कोई भी स्टॉफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन भत्ते या अनुलाभों को प्राप्त करने, नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।

10. दिनांक **25.03.2026** तक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि पश्चात यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

11. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, उपरोक्त पद में नियुक्त अभ्यर्थी को ''*नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नही होगा, क्योंकि भुगतान मानदेय या रिटेनरशिप के आधार पर है और वेतन के आधार पर नहीं।*''

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला कोण्डागांव छ0ग0

प्रतिलिपिः–
पृ0क0– /जि0वि0से0प्रा0/2026 कोण्डागांव दिनांक–17.03.2026

01– सदस्य सचिव छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर को संदर्भित ज्ञापन के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02– सर्व संबंधित श्री ....को सूचनार्थ। आप दिनांक–25.03.2026 के पूर्व चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

sd/-
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला कोण्डागांव छ0ग0